एक नजर में

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर 1 अक्टूबर को होंगे विविध कार्यक्रम

खण्डवा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मध्यप्रदेश में विशेष रूप से मनाया जाएगा। इस अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वृद्धजन दिवस का प्रमुख उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की समाज में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना और उन्हें समावेशी भविष्य के निर्माण में सशक्त पहचान दिलाना है। कार्यक्रम की थीम समावेशी भविष्य के लिए वृद्धजन की पहचान को सशक्त बनाना निर्धारित की गई है। जिला स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, संवाद सत्र एवं जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित होंगी। इन आयोजनों का मुख्य फोकस यह रहेगा कि वृद्धजन केवल परिवार और समाज के अनुभव का आधार ही नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदारी के माध्यम से समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। विशेष आकर्षण के रूप में प्रत्येक जिले में 'शतायु सम्मान' का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 100 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण कर चुके वृद्धजनों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। इस पहल से राज्य सरकार का उद्देश्य बुजुर्गों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का संदेश देना है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के आयोजन से प्रदेश में न केवल वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता की भावना को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि समाज में उनके अनुभव और मार्गदर्शन की उपयोगिता को भी पुनः रेखांकित किया जाएगा। यह आयोजन प्रदेश की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें बुजुर्गों को समाज की धरोहर मानते हुए उन्हें सम्मान और सहयोग प्रदान करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रश्न मंच, निबंध प्रतियोगिता एवं स्लोगन प्रतियोगिता हुई

नवीन आदर्श महाविद्यालय में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम

खण्डवा। श्री हुकुमचंद यादव शासकीय नवीन आदर्श स्नातक महाविद्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर सोमवार को विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विनय जैन ने बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी साहित्य की भूमिका विषय पर निबंध प्रतियोगिता हुई, जिसमें प्रथम स्थान पर मोहनदास, द्वितीय स्थान प्रताप दमाडे तथा तृतीय स्थान पर ओम प्रकाश रहे। हिंदी के महत्व पर आधारित स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर अंजलि मण्डलोई, द्वितीय स्थान पर संगीता पाटिल तथा तृतीय स्थान पर निशा काजले रहीं। हिंदी भाषा एवं साहित्य पर केंद्रित प्रश्न मंच प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शारदा नरगावे, शीतल आवासे, निशा काजले की टीम ए को प्राप्त हुआ। द्वितीय स्थान टीम डी की ममता, रक्षा तथा रेशमा को प्राप्त हुआ। तृतीय स्थान टीम बी के राकेश, चंदन, रामदास को प्राप्त हुआ। राजभाषा हिंदी की दशा एवं दिशा विषय पर व्याख्यान हुआ जिसमें प्राचार्य डॉ. विनय जैन, प्रोफेसर महेश कुमार तिवारी एवं डॉ. धर्मेंद्र चौबे ने व्याख्यान दिया।

समिति के संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त

खण्डवा। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम के प्रावधानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी एम.बी.ओझा ने नार्मदीय साख सहकारी समिति के संचालक मंडल के निर्वाचन के लिए सदस्यता सूची को अंतिम रूप देने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की है। जारी आदेश अनुसार गोविन्द प्रसाद नागवंशी को, सहकारी निरीक्षक को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा उपायुक्त सहकारिता को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। संचालक मंडल की सदस्यता सूची के सम्बंध में कार्यक्रम निर्धारित निर्धारित कार्यक्रम के तहत संचालक मंडल की सदस्यता सूची प्रकाशित करने की तिथि 25 सितम्बर निर्धारित की गई है। प्रकाशित सदस्यता सूची पर आपत्ति प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 3 अक्टूबर निर्धारित की गई है। सदस्यता सूची पर प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की तिथि 4 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अन्तिम सदस्यता सूची के प्रकाशन की तिथि 4 अक्टूबर निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की तिथि 6 से 9 अक्टूबर निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध अपील के निराकरण की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

पिछले 24 घंटों में जिले में हुई 2.4 मिली मीटर औसत वर्षा

खण्डवा। खंडवा जिले में गत चौबीस घंटों में 2.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया पिछले चौबीस घंटे में खण्डवा तहसील में 2 मिली मीटर वर्षा, पंधाना में 8 मिली मीटर तथा पुनासा में 2 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि हरसूद तथा खालवा तहसील में कोई भी वर्षा दर्ज नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 16 सितम्बर तक जिले में 834.6 मिली मीटर औसत वर्षा हो चुकी थी। जबकि इस वर्ष अब तक जिले में 696.4 मि.मी. औसत वर्षा हो चुकी है। इस वर्ष अब तक खण्डवा तहसील में 807 मि.मी., हरसूद तहसील में 601 मि.मी., पन्धाना तहसील में 572 मिली मीटर, पुनासा तहसील में 732 मि.मी. तथा खालवा तहसील में 770 मिली मीटर वर्षा अब तक दर्ज की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि खण्डवा जिले की औसत वर्षा 808 मिली मीटर है।

श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में इंजीनियर्स डे मनाया

मून्दी। 5 सितम्बर को श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में इंजीनियर्स डे धूम धाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर परियोजना के मुख्य अभियंता जे सी जुनवाल ने सर मोक्षगुण्डम विश्वेश्वरैया की अभूतपूर्व उपलब्धियों के बारे में बताया, उनके द्वारा विषम परिस्थितियों में किए गए कार्यों से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया। विश्वेश्वरैया जी को खासकर सिविल के क्षेत्र में किए गए अतुलनीय कार्यों के लिए जाना जाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ सर एम विश्वेश्वरैया जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। जे सी जुनवाल के बाद अन्य अधिकारियों ने भी एक एक करके अपने वक्तव्य रखे। कार्यक्रम में मुख्य अभियंता के अलावा आर एस अलावा वरिष्ठ मुख्य रसायनज्ञ, उमेश वर्मा अतिरिक्त मुख्य अभियंता-2, वी एम पाठक, आर डी शर्मा, अभियंता संघ के सचिव शैलेष चौहान आदि उपस्थित थे। सिविल विभाग की ओर से कुमारी निशा विश्वकर्मा जूनियर इंजीनियर एवं विनीत शर्मा द्वारा भी सर एम विश्वेश्वरैया जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का संचालन रवि श्रीवास्तव द्वारा किया गया।

एसी कोच में बैग चोर को यात्रियों ने खूब पीटा, बांधकर खंडवा लाए

नवभारत न्यूज

खंडवा। ट्रेन में यात्रियों ने चोर को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा। उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर उसके हाथ बांधकर खंडवा स्टेशन लाकर जीआरपी के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस पूरी घटना से आक्रोशित यात्रियों ने रेलवे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर जमकर आक्रोश जताया।

मंगलवार को भुसावल से खंडवा की तरफ आ रही महानगरी ट्रेन में चालीस गांव से तीन युवक चढ़े थे, उसके बाद यह लोग यात्रियों के बेग लेकर भाग रहे थे। जिसमें से एक पकड़ा गया और दो फरार हो गए। जिसे पकड़ा यात्रियों ने उसकी पहले जमकर पिटाई की। फिर हिम्मत दिखाकर भुसावल से खंडवा तक हाथ बांधकर लाए और जीआरपी को सौंपा।

एसी कोच में चोर कैसे घुसा?

यात्रियों ने आरोप लगाया कि मुंबई से वाराणसी जा रही महानगरी 22178 यात्री गाड़ी के AC कोच B6 में आरोपी बैग लेकर भाग रहा था, जिसको पकड़ा पर कोई आरपीएफ का जवान नहीं था। जिसकी वजह से बिना टिकट लोग AC कोच में बिना किसी रोक टोक आ जाते हैं।

ऐसे ही लोग बड़े अपराध करते हैं

आक्रोशित यात्री ने आरोप लगाया कि इस तरह के आरोपी ही रेप करते हैं। इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए।

इसमें जीआरपी और आरपीएफ की गलती है कोई भी ट्रेन के अंदर नहीं था।

यात्री ही 200 किमी आरोपी को बांधकर खंडवा लाए

यात्री ने बताया कि भुसावल के पास बैग लेकर भाग रहे युवक को कुछ यात्रियों पकड़कर जमकर पीटा और उसके हाथ बांध दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगभग 200 किलोमीटर दूर से यात्री आरोपी को लेकर आए कोई जवाब नहीं आया आरपीएफ का, बीच में आए स्टेशन से भी कोई सुरक्षाकर्मी भी ट्रेन में नहीं चढ़ा।

सत्ता के सुर बदले तो मेला बाबा गंगाराम से छीना, अब धरने पर बैठे

नवभारत न्यूज

खंडवा। नवचंडी मंदिर के मेले की जमीन 40 साल से विवादों के चक्रव्यूह में फंसी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जमीन का अधिग्रहण कर नगर निगम को आधिपत्य सौंप दिया था। 36 साल से बाबा गंगाराम मेला लगा रहे थे।

सत्ता के सुर बदलने के बाद नगर निगम ने उन्हें मेले से बेदखल कर दिया। मेला ठेके पर दे दिया।

बाबा ने तोड़ी चुप्पी

आक्रोशित बाबा लंबी कार्रवाई के बाद अब धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कई संगीन आरोप नगर निगम पर लगाए हैं। बाबा गंगाराम ने आरोप लगाते हुए कहा कि 31 जनवरी 1996 को प्रस्ताव पास कर मंदिर का मेला इस जमीन पर लगा था।

क्या बोले नगर निगम के जिम्मेदार?

इस संबंध में नगर निगम के पदाधिकारियों का कहना है कि में मेले को व्यवस्थित तरीके से लगाया जा रहा है। कार्यक्रम भी हो रहे हैं। लोग यहां भारी संख्या में पहुंचते भी हैं। नगर निगम इस मेले की जमीन को ठेके पर देकर आय कमाती आती है। जो शहर हित में खर्च की जा रही है। निगम के अधिपति की भूमि से किसी को व्यक्तिगत फायदा देना अनुचित है।

36 साल से लगा रहे थे मेला

1990 से गंगाराम बाबा मेला लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नौचंडी मंदिर में दर्शन के लिए आते रहते थे। वहां उन्हें मेले की भूमि का प्रस्ताव दिया गया। तत्कालीन कलेक्टर एसके वशिष्ठ और महापौर अणिमा उबेजा से मिले।

बाबा गंगाराम की सबसे बड़ी चूक!

कलेक्टर ने मेले की जमीन के लिए अधिग्रहण की कार्रवाई की। कलेक्टर ने भूमि बाबा को देने के लिए कहा, तो उन्होंने इनकार कर दिया, कि किसी अर्ध शासकीय संस्था को दे दें। नगर निगम के नाम जमीन हो गई। अब सत्ता बदल गई है। रोज नए पेंच आ रहे हैं।

निगम कर रही निर्माण

यह जमीन खाली रहनी थी। यहां किसी तरह की मंदिर या मस्जिद नहीं बनी थी। नगर निगम सब काम का उल्लंघन कर रहा है। मेले को ठेके पर दे दिया गया है। मेले का शुल्क वे बराबर जमा करने आए हैं। ठेके पर मेले की जमीन देने पर उन्होंने कई आवेदन दिए लेकिन किसी ने उसका जवाब नहीं दिया।

भाजपाई को ठेका देने का आरोप

बाबा का आरोप है कि भाजपा के व्यक्ति को ही मेला लगाने का ठेका दे दिया गया। उन्होंने पसीने से मेले को व्यवस्थित किया। बड़े आयोजन करवाए, लेकिन अब वह सब बंद हो गए हैं। इस मेले का इतिहास देखें, तो 1995 से 2000 में भूमि के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई।

अदिति ने कलेक्टर को गुलाब का फूल भेंट कर आभार प्रकट किया

नवभारत न्यूज

खण्डवा। कलेक्टर ऋषव गुप्ता प्रत्येक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत नागरिकों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हैं। जनसुनवाई के दौरान माता चौक खण्डवा निवासी बालिका अदिति इंदौरे ने अपने भाई अंशु इंदौरे के साथ कलेक्टर से भेंट कर उन्हें गुलाब के फूल भेंट किये। अदिति ने कलेक्टर को बताया कि वह पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के इटावा में आयोजित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में ताइक्वांडो गेम में गोल्ड मेडल जीतकर आई है। अदिति ने बताया कि पिछले माह जनसुनवाई में इसी प्रतियोगिता में जाने के लिए आवश्यक मदद के लिए अपनी समस्या लेकर आई थी, तो कलेक्टर ने उसे प्रोत्साहन स्वरूप 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दिलाई थी। आज गोल्ड मेडल जीतने के बाद वह कलेक्टर का आभार प्रकट करने आई है। अदिति ने आगामी दिनों में गुवाहाटी में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में जाने के लिए आर्थिक मदद की मांग कलेक्टर से की, जिस पर उन्होंने हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया।

पंचायत के कार्यों की जाँच के निर्देश

जनसुनवाई में नहाल्दा पंचायत के ग्राम कोटवाड़ा निवासी त्रिलोकचंद ने कलेक्टर श्री गुप्ता को आवेदन देकर बताया कि गांव के सरपंच और सचिव पंचायत के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और शासकीय राशि का गबन कर रहे हैं, मामले की जाँच कराई जाए। जिस पर उन्होंने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नहाल्दा पंचायत में सरपंच सचिव द्वारा किए गए विकास कार्यों की विस्तृत जाँच करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ग्राम हरबंसपुरा के ग्रामीणों ने पंचायत द्वारा खेत तालाब निर्माण और कूप निर्माण में भ्रष्टाचार किए जाने संबंधी शिकायत कलेक्टर से की, जिस पर उन्होंने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पंचायत के कार्यों की विस्तृत जाँच करने के निर्देश दिए।

वार्ड क्रमांक 10 एवं 11 की पेयजल समस्या हल करने के दिए निर्देश

जनसुनवाई में अमन नगर खंडवा निवासी पार्वती बाई ने अपने घर से पंखे चोरी की एफआईआर दर्ज न करने की शिकायत कलेक्टर से की, जिस पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। खंडवा शहर के वार्ड नंबर 10 एवं 11 के निवासियों ने पेयजल प्रदाय व्यवस्था सुधारने की मांग कलेक्टर से की, जिस पर उन्होंने नगर निगम आयुक्त को वार्ड क्रमांक 10 एवं 11 में पेयजल व्यवस्था सुधार के संबंध में निर्देश दिए। गीता डोंगरे निवासी खंडवा ने जिला अस्पताल के स्टाफ द्वारा प्रसव के लिए रुपए मांगे जाने तथा अस्पताल के कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत कलेक्टर से की जिस पर उन्होंने जिला पंचायत के सीईओ को मामले की जाँच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

पुलिस-कार्रवाई जिले मे 15 दिवसीय विशेष अभियान के क्रियान्वयन मे 260 वाहन चालकों के विरुद्ध एम.व्ही.एक्ट के तहत कार्रवाई

50 असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

नवभारत न्यूज

खंडवा। पुलिस अधीक्षक खंडवा मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) महेंद्र तारणेकर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राजेश रघुवंशी के मार्गदर्शन में 18 गिरफ़्तारी, 01 स्थाई, 27 जमानती वारंट, 85 समन जिले के विभिन्न थानों के द्वारा अलग-अलग न्यायालय के तामील किये गए।

जिले के विभिन्न थानों मे 50 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। धारा 126/135 बीएनएसएस के तहत 23 प्रकरणों मे 46 अनावेदकों के विरुद्ध, धारा 170 बीएनएसएस के तहत 01 प्रकरण मे 04 अनावेदकों के विरुद्ध अनावेदकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जिले में 13 अनावेदकों के विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई है।

दिनांक 15.09.25 को प्रदेश स्तर पर बढ़ती सड़क दुर्घटना एवं उनमे होने वाली मृत्युदर को कम करने के उद्देश्य से एवं लोगो को यातायात नियमों का पालन कराये जाने हेतु दिनांक 08.09.2025 से 22.09.25 तक प्रदेश स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके पालन में जिला खंडवा में समस्त थाना प्रभारियों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालको के विरुद्ध तेज गति से वाहन चलाना, बिना हेलमेट/सीटवेल्ट वाहन चलाना, नाबालिग द्वारा वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग, शराब पीकर वाहन चलाना, रॉंग साइड वाहन चलाना, ओव्हर लोडिंग वाहन चलाना, बिना लायसेन्स, विना फिटनेस, बिना परमिट के वाहन चलाने पर नियमो का उल्लंघन करने वाले 260 वाहन चालकों के विरुद्ध एम.व्ही. एक्ट के तहत कार्रवाई की गई एवं समन शुल्क 116300/-रुपये वसूल किए गए है। उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा जिले के समस्त नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई, नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध एम व्ही एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की जावेगी।

अवैध शराब प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

अवैध शराब बिक्री करने वालो के विरुद्ध थाना मूंदी के आरोपी करणसिंह पिता स्वरूपसिंह भीलाला उम्र 45 साल निवासी पालसूदमाल के कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 800 /- रूपए की जप्त की गई। थाना खालवा के आरोपी के कब्जे से 7 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 700 /-रूपए की जप्त की गई। आरोपी सुनिताबाई पति राजू मेहतर उम्र 47 साल निवासी ग्राम मलगाव के कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 1500/-रूपये की जप्त की गई। आरोपी लक्ष्मण पिता करण राठौर जाति नायक उम्र 50 साल निवासी ग्राम ढकोची के कब्जे से 8 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 800 /-रूपए की जप्त की गई। उक्त दोनो आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

हिंदी शब्दावली प्रतियोगिता से हुआ हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ

नवभारत न्यूज

मून्दी। गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी हिंदी पखवाड़ा -2025 का आयोजन राजभाषा विभाग तथा एनएचडीसी निगम मुख्यालय, भोपाल से प्राप्त दिशानिर्देशों के तहत परियोजना प्रमुख, अजीत कुमार के संरक्षण में इंदिरा सागर पावर स्टेशन में दिनांक 14.09.2025 से 29.09.2025 तक किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कार्यालयीन ज्ञान को परखने के लिए दिनांक 16.09.2025 को हिंदी शब्दावली प्रतियोगिता आयोजित की गई।

प्रतियोगिता में कार्यालयीन कार्य संबंधी लघु उत्तरीय, मिलान शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द तथा अन्य विविध प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया था। इस प्रतियोगिता में कुल 18 कार्मिकों ने सहभागिता की। प्रशांत महतो, उपमहाप्रबंधक (सिविल) तथा अनिल कुमार, उपमहाप्रबंधक (सिविल) ने संयुक्त रूप से निर्णायक के दायित्व का निर्वहण किया।

प्रतियोगिता में 18 कार्मिकों ने सहभागिता की, आयोजन : इंदिरा सागर पावर स्टेशन में दिनांक 14.09.2025 से 29.09.2025 तक किया जा रहा है,

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस -2025 एवं पंचम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ गाँधी नगर, गुजरात में दिनांक 14.09.2025 को किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में देश भर के केन्द्रीय कार्यालयों, बैंकों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के राजभाषा से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों ने सहभागिता की। राजभाषा प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने, कार्मिकों को अनुप्रेरित करने एवं राजभाषा प्रचार-प्रसार के लिए केंद्रीय कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के आयोजन किये जाते हैं।

बहुददेशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी मर्या बी - पैक्स चिचलीखुर्द, पंजीयन क्रमांक 514
क्रंमाक/ साधारण सभा/2025/क्यू./1. दिनांक: 06/09/2024
वार्षिक साधारण सभा सूचना
महानुभाव, बहुददेशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी मर्या बी पैक्स चिचलीखुर्द के अंशधारी सदस्यों की वार्षिक साधारण आम सभा दिनांक 21/09/2024 दिन शनिवार को प्रातः 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन चिचलीखुर्द में निम्नलिखित विषयों पर विचार कर निर्णय हेतु अयोजित की गई है। जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। निर्धारित समय पर गणपूर्ति नहीं होने की दशा में व्यापक सम्मेलन को स्थिगित कर दिया जायेगा। स्थगित सम्मेलन उसी स्थान पर आधे घण्टे पश्चात् किया जावेगा, जिसमें गणपूर्ति आवश्यक नही होगी।
पिंटू रावत, प्रशासक — हरिशंकर शर्मा, संस्थान प्रबंधक

बहुददेशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, गुयड़ा पं.क्र.474
क्रमाँक / साधारण सभा/2025/क्यू./1 दिनांक 09/09/2025
वार्षिक साधारण सभा सूचना
महानुभाव, बहुददेशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित गुयड़ा के समस्त अंशधारी सदस्यो की वार्षिक साधारण आमसभा दिनांक 25/09/2025 दिन गुरुवार को दोपहर 1.00 बजे स्थान संस्था कार्यालय में निम्नलिखित विषयो पर विचार कर निर्णय हेतु अयोजित कि गई है। जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। निर्धारित समय पर गणपूर्ति नहीं होने की दशा में व्यापक सम्मेलन को स्थिगित कर दिया जायेगा। स्थिगित सम्मेलन उसी स्थान पर आधे घण्टे पश्चात् किया जावेगा, जिसमें गणपूर्ति आवश्यक नही होगी।
पिंटू रावत, प्रशासक — कृष्णा केवट, संस्था प्रबंधक

बहुददेशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, बीड़ पं.क्रं. 470
क्रमाक / साधारण सभा/2025/क्यू./1 दिनांक 12/09/2025
वार्षिक साधारण सभा सूचना
महानुभाव, बहुददेशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित्त बीड़ के समस्त अंशधारी सदस्यों की वार्षिक साधारण आमसना दिनांक 26/09/2025 दिन शुक्रवार को दोपहर 12 बजे स्थान संस्था कार्यालय में निम्नलिखित विषयो पर विचार कर निर्णय हेतु अयोजित कि गई है। जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। निर्धारित समय पर गणपूर्ति नहीं होने की दशा में व्यापक सम्मेलन को स्थिगित कर दिया जायेगा। स्थिगित सम्मेलन उसी स्थान पर आधे घण्टे पश्चात् किया जावेगा जिसमें गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी। वार्षिक आमसभा में निम्नलिखित विषयों पर विचार कर निर्णय लिया जावेगा।
मोहनसिहं दांगी, प्रशासक — आर. के. सुनहरे, संस्था प्रबंधक

बहुददेशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, बोरखेड़ाखुर्द, पं.क्र. 397
क्रंमाक / साधारण सभा/25/क्यू./1 दिनांक 12/09/2025
वार्षिक साधारण सभा सूचना
महानुभाव, सेवा सहकारी समिति मर्यादित बोरखेड़ाखुर्द के अंशधारी सदस्यों की वार्षिक साधारण आम सभा संस्था कार्यालय में दिनांक 26/09/2025 दिन शुक्रवार को दोपहर 1.00 बजे स्थानं पर विचार कर निर्णय हेतु अयोजित की गई है। जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। निर्धारित समय पर गणपूर्ति नहीं होने की दशा में व्यापक सम्मेलन को स्थिगित कर दिया जायेगा। स्थगित सुम्मेलन उसी स्थान पर आधे घण्टे पश्चात् किया जावेगा, जिसमें गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।
पिन्टू रावत, प्रशासक — राधेश्याम राजपूत, संस्था प्रबंधक

बहुउद्देशीय प्राथिमक कृषि साख सहकारी सोसायटी मर्या., भगवानपुरा, पं.क्र. 627
क्रंमाक / साधारण सभा/2025-26/क्यू./1 दिनांक: 06/09/2025
वार्षिक साधारण सभा सूचना
महानुभाव, बहुउद्देशीय प्राथिमक कृषि साख सहकारी सोसायटी मर्या., भगवानपुरा के अंशधारी सदस्यों की वार्षिक साधारण आम सभा दिनांक 20/09/2025 दिन शनिवार को दोपहर 12.30 बजे स्थान संस्था कार्यालय में निम्नलिखित विषयो पर विचार कर निर्णय हेतु अयोजित कि गई है। जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। निर्धारित समय पर गणपूर्ति, नहीं होने की दशा में व्यापक सम्मेलन को स्थिगित कर दिया जायेगा। स्थगित सम्मेलन उसी स्थान पर आधे घण्टे पश्चात् किया जावेगा, जिसमें गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।
पिंटू रावत, प्रशासक — ब्रजलाल पटेल, संस्था प्रबंधक

कार्यालय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सह. सोसायटी मर्यादित देवलीकलां, प.क्र.1469 शाखा-खारकलां
क्र. वार्षिक आमसभा/2025, दिनांक-13/09/2025
वार्षिक-आमसभा-सूचना
सम्माननीय, बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सह. समिति मर्यादित देवलीकलां के समस्त अंशधारियों से निवेदन है कि संस्था की वार्षिक आमसभा दिनांक 29/09/2025 दिन सोमवार समय-दोप. 12.00 बजे. समिति कार्यालय में आयोजित की गई है, जिसमे आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है, समय पर पधारें। समयावधि में गणपूर्ति न होने पर बैठक उसी दिन उसी स्थान पर आधे घण्टे पश्चात दोप.12.30 बजे आयोजित की जायेगी, जिसमे गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।
श्री श्याम सुंदर केवट, प्रशासक — विकास राठौड़, संस्था प्रबंधक

बहुउदेशीय प्रा. कृषि साख सहकारी सोसाइटी मार्य. सोमगांव, पं.क्रं-268
क्रंमाक / साधारण सभा/2025-26/क्यू./1 दिनांक- 11/09/2025
वार्षिक साधारण सभा सूचना
महानुभाव, बहुउदेशीय प्रा कृषि साख सहकारी सोसाइटी मार्य सोमगांव के अंशधारी सदस्यों की वार्षिक साधारण आम सभा दिनांक 25/09/2025 दिन गुरुवार को दोपहर 12.30 बजे स्थान संस्था कार्यालय में निम्नलिखित विषयों पर विचार कर निर्णय हेतु अयोजित कि गई है, जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। निर्धारित समय पर गणपूर्ति नही होने की दशा में व्यापक सम्मेलन को स्थिगित कर दिया जायेगा। स्थिगित सम्मेलन उसी स्थान पर आधे घण्टे पश्चात् किया जावेगा, जिसमें गणपूर्ति आवश्यक नही होगी।
पिंटू रावत, प्रशासक — योगेश शर्मा, संस्था प्रबंधक